



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 15.03.2024

1.थाना बीटा-2 पुलिस व स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से स्क्रेप माफिया रवि काना गिरोह का एक सदस्य/25000 रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 15.03.2024 को थाना बीटा 2 पुलिस व स्वाट टीम के संयुक्त प्रयास से वांछित /25000 रुपये के इनामिया अभियुक्त अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह पुत्र राजकुमार नि0 मूल पता - ग्राम दादूपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर हाल पता - ओमेक्स ग्राण्ड सैक्टर 93 फ्लैट नं0 अलकजैन्डरा बी-002 नोएडा नियर बालक इन्टर कॉलेज थाना फेस -2 गौतमबुद्धनगर को एटीएस गोल चक्कर थाना क्षेत्र बीटा-2 से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी एवं स्क्रेप माफिया रवि काना के गैंग का सदस्य है रवि नागर उर्फ रविन्द्र सिंह उर्फ रवि काना पुत्र यतेन्द्र निवासी ग्राम दादूपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर इस गैंग का गैंगलीडर है एवं 1.राजकुमार नागर 2.तरून छोकर 3.अमन 4.विशाल 5.अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह 6.महकी नागर उर्फ महकार 7.अनिल 8.विक्की 9.अफसार 10.राशिद अली 11.आजाद नागर 12.प्रहलाद 13.विकास नागर 14.कु0 काजल झा 15.मधु, इस गैंग के सदस्य है जो सरिया व स्क्रेप के व्यवसाय में लम्बे समय से सक्रिय है, उक्त गैंग के सदस्यों द्वारा विभिन्न निर्माणाधीन साईटों पर जाने वाले सरिये के ट्रकों को रोककर चालक से मिलीभगत कर सरिया उतरवा लेते हैं तथा रवि नागर उर्फ रविन्द्र सिंह उर्फ रवि काना से साईट के मैनेजर को डरा धमकाकर स्टॉक बुक में पूरा वजन अंकित कराते हैं। उतारे गये सरिया को बाजार भाव से व्यापारियों को बेचकर गैंग के लिये अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। इस गिरोह द्वारा डरा धमकाकर सरिया/स्क्रेप की चोरी/लूट जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया है जिसके आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर गैंग के विरुद्ध मु0अ0स0 002/2024 धारा 2(b)i,2(b)iii,2(b)iv,2(b)viii,2(b)xi, 2(b)xii/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 बनाम 16 नफर अभियुक्त उपरोक्त पंजीकृत किया गया इस गिरोह के सदस्य राजकुमार नागर, अनिल नागर, आजाद नागर, विकास नागर, विक्की, अफसार, राशिद अली, प्रहलाद, महकी नागर, मधु नागर, अमन शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 15.03.2024 को अभियुक्त अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25000 रुपये का इनाम घोषित था को स्वाट टीम व थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा एटीएस गोल चक्कर थाना क्षेत्र बीटा-2 से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह पुत्र राजकुमार नि० मूल पता - ग्राम दादूपुर थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर हाल पता ओमेक्स ग्राण्ड सैक्टर 93 फ्लैट नं० अलकजैन्डरा बी-002 नोएडा नियर बालक इन्टर कॉलेज थाना फेस -2 गौतमबुद्धनगर ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास--

- (1) मु०अ०सं० 400/2020 धारा 386 भादवि, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर
- (2) मु०अ०सं० 506/2018 धारा 386/392/414/34 भादवि, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर
- (3) मु०अ०सं० 656/2018 धारा 420/386/407/411/413/266/34/120बी भादवि, थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद
- (4) मु०अ०सं० 313/2013 धारा 395/397/412 भादवि, थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद
- (5) मु०अ०सं० 313ए/2013 धारा 414 भादवि, थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद
- (6) मु०अ०सं० 314/2013 धारा 30 शस्त्र अधि० थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद
- (7) मु०अ०सं० 526/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद
- (8) मु०अ०सं० 86/2024 धारा 395/307/324323/506/34 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
- (9) मु०अ०सं० 122/2018 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर
- (10) मु०अ०सं० 002/2024 धारा 2(b)i,2(b)iii,2(b)iv,2(b)viii,2(b)xi, 2(b)xii/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना बीटा-2 ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर